न्यायालय न्यायनिर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — श्री मुरारी लाल शर्मा
मुकदमा नम्बर 54/2023 — आर.ए.एस

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।
बनाम
श्री राजकुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द बंका, मैसर्स मलसीसर किराणा स्टोर, नया बस स्टेण्ड, मलसीसर जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः--
1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर से ....अनावेदक स्वयं।

–निर्णय– दिनांक : 26.09..2023

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार हैः– कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 13.07.2023 को मैसर्स मलसीसर किराणा स्टोर, नया बस स्टेण्ड मलसीसर, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री राजकुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द बंका उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना बताया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर एक प्लास्टिक के कट्टे में करीबन 15 किग्रा मिर्च पाउडर (लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) खुली अवस्था में बेची जाने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अवहेलना में आने के कारण प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी नया बस स्टेण्ड मलसीसर, जिला झुन्झुनू में मै0 मलसीसर किराना स्टोर के नाम से दुकान है जहां वह मिर्च पाउडर (लूज) बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का सैम्पल लिया गया था जो कि खुली अवस्था में बेची जाने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अनावेदक ने लिखित जबाब पेश कर निवेदन किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ में कोई कमी नही पाई गई है। अतः उसके विरूद्ध प्रकरण ड्रॉप किया जाये।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (V) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 **एल.एस./2884/एक्ट/2023/2953 दिनांक 25.07.2023** के अनुसार खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) खुला बेचान किया जाता पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (V) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

मैसर्स मलसीसर किराना स्टोर, नया बस स्टेण्ड मलसीसर जिला झुन्झुनू में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) खुली अवस्था में बेची जाने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अवहेलना की श्रेणी में पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री राजकुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द बंका, मैसर्स मलसीसर किराना स्टोर, नया बस स्टेण्ड मलसीसर, जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (V) को दोषी मानकर प्रकरण में 15,000/– पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू